सं० सं०–4 / मं०सं०का०का०(गठन)–01 / 2011(पार्ट–3) ....

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

निशीथ वर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–.............. / 2025

विषय : प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–384 दिनांक–18.11.2016(संलग्न) के आलोक में बिहार राज्य के सभी 38 (अड़तीस) जिलों के 534 प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठित है। राज्य के सभी 534 प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 13 सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा नामित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–384 दिनांक–18.11.2016 में निहित प्रावधान के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार होगी। प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के लिए एवं उपाध्यक्ष के लिए एक कार्यालय कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जो उपलब्धता के आधार पर प्रखण्ड कार्यालय के मुख्य भवन में होगा। प्रखण्ड कार्यालय भवन में स्थान की कमी होने पर उपलब्धता के आधार पर अन्य भवन में भी व्यवस्था की जा सकती है। अध्यक्ष के कार्य में सहायता के लिए प्रखण्ड में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा भी सदस्य सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी, इस हेतु कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा उपाध्यक्ष के कार्य में सहायता के लिए प्रखण्ड में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा भी सदस्य सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी, इस हेतु भी कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों, सांसदों, विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए दैनिक भत्ता के रूप में ₹200/– (दो सौ रूपये) तथा यात्रा–भत्ता ₹50/– (पचास रूपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता / यात्रा–भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को नियत आतिथ्य भत्ता के रूप में ₹500/– (पाँच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

अतः अनुरोध है कि अपने–अपने जिलों के सभी प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक–15.08.2025 से पूर्व कम से कम तीन बार कराने की कृपा की जाये। राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैः–

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	नोडल विभाग
1	महिला संवाद कार्यक्रम	ग्रामीण विकास विभाग
2	डॉ० भीमराव अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
3	आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम	नगर विकास एवं आवास विभाग

इन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी अपने स्तर से अपने–अपने जिलों के सभी प्रखंडों के प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को दी जाए।

सभी प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति उपर्युक्त कार्यक्रमों से संबंधित बैठक भी दिनांक–15.08.2025 से पूर्व कम–से–कम तीन बार कर उक्त कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे तथा उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। अतः अनुरोध है कि इस आशय की सूचना सभी मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को देने की कृपा की जाये।

अनु०ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(निशीथ वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–4/मं०सं०का०का०(गठन)–01/2011(पार्ट–3)...728...पटना–15,दिनांक 28/4/2025

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/04/25

(निशीथ वर्मा)
सरकार के अपर सचिव